रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19012022-232733
CG-DL-E-19012022-232733

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 206] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 17, 2022/पौष 27, 1943
No. 206] NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 17, 2022/PAUSHA 27, 1943

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जनवरी, 2022

का.आ. 210(अ).—प्रारुप अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण में भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 122(अ), तारीख 12 जनवरी, 2021, द्वारा प्रकाशित की गई थी जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनकी उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना को अन्तर्विष्ट करने वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, साठ दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और, उक्त प्रारूप अधिसूचना को अन्तर्विष्ट करने वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को तारीख 13 जनवरी, 2021, को उपलब्ध करा दी गई थी;

और, पूर्वोक्त प्रारुप अधिसूचना के उत्तर में व्यक्तियों और पणधारियों से कोई भी आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए;

और, सुरीनसार–मनसार वन्यजीव अभयारण्य उत्तर में तवी नदी, पूर्व में उधमपुर-सांबा सड़क और गोम्बीर खाड, दक्षिण-पूर्व में बोट्टल-बीलौर सड़क और मनसार झील, उत्तर-पश्चिम में तवी नदी और सुरीनसार झील के बीच 97.82 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में अवस्थित है और अभयारण्य तीन जिलों जम्मू-उधमपुर और सांबा में फैला हुआ है और मुख्य भाग संघ राज्यक्षेत्र जम्मू और कश्मीर के जम्मू जिला में पड़ता है;

और, सुरीनसार–मनसार वन्यजीव अभयारण्य अधिसूचना संख्या एसआरओ 138 तारीख 10 अप्रैल, 1990 के द्वारा वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया था और अभयारण्य में प्रतिरूप सुरीनसार और मनसार झील भी शामिल है जिसे 2005 में अन्तर्राष्ट्रीय महत्त्व की रामसर आर्द्रभूमि सूची में जोड़ा गया था और भारत सरकार के राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम में भी शामिल किया गया है;

और, क्षेत्र विभिन्न जंगली वनस्पति और जीवजंतु प्रजातियों के प्रवर्धन, संरक्षण और स्थायीकरण के लिए "जीन पूल" का प्रतिनिधित्व करता है और सुरीनसार-मनसार वन्यजीव अभयारण्य से अभिलिखित की गई जीवजंतु प्रजातियों में स्तनधारियों की 15 प्रजातियां, पक्षियों की 86 प्रजातियां, सरीसृपों की 17 प्रजातियां, मछलियों की 8 प्रजातियां (*कोटवल.2012*) शामिल हैं;

और, सुरीनसार–मनसार वन्यजीव अभयारण्य और इसके निकटवर्ती वन क्षेत्र को समृद्ध वन्यजीव और लुप्तप्राय जीवजंतु जैसे भारतीय लॉन्ग बिल्लड गिद्ध (*जिप्स इंडिकस*), भारतीय वाइट-बैक्ड गिद्ध (*जिप्स बेंगालेंसिस*), स्टेप्पे ईगल *(अक्यूइला निपालेंसिस*), सामान्य तेंदुआ (*पेन्थेरा प्रज्घूस*), भारतीय मॉनिटर लिर्जाड *(वारानुस बेंगालेंसिस)* की लाभप्रद जनसंख्या के वास स्थल होने के कारण संरक्षण के उद्देश्य से प्राथमिकता दी जाती है;

और, अभयारण्य में मुख्य जीवजंतु प्रजातियां मुंजक (*मुन्टिएक्स मुन्तजक*), नीलगाय (*बोसेलाफुस ट्रागोकमेलुस*), गोरल (*नेमोरहाइदुस गोरल*), बनैला सूअर (*सस स्क्रोफ़ा*), सियार (*कैनिस ऑरियस*), खरगोश(*लेपुस निगरीकोल्लिस*), जंगली बिल्ली *(फेलिस चाऊसा*), साही (*हिस्ट्रीक्स इंडिका*), नेवला (*हर्पस्टेस एड्वर्डसी*), अगामा लिर्जाड (*अगामा अगरोनेंसिस*), ग्रार्डन लिर्जाड (*कलोटेस वेसिकॉलोर*), भारतीय कोबरा (*नाजा नाजा*), सामान्य करैत (*बुंगेरस कैरुलस*), रूस्सेल वाइपर (*विपेरा रूस्सेली रूस्सेली*), रैट स्नेक (*पटयास मुकोसुस*), ग्रास स्नेक (*अम्फिइस्मा स्टोलाटा*), कैट स्नेक (*बोइगा टरीगोनाटा*), भारतीय कुकरी स्नेक (*ओलीगिडोन ओरनेंसिस*), चेक्केरेड कीलबैक स्नेक (*एक्सनोचरोफिस पिसकटोर*), भारतीय बुल्ल मेंढक (*हापलोबातराकस टिग्रीनिस*), भारतीय टोड *(बुफ़ो मेलेनोस्टिकस*), मार्बलेड टोड (*बुफो स्टोमाटीकस*), आदि पाई जाती हैं;

और, क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण पक्षी प्रजातियों में मयूर पक्षी (*पावो क्रिस्टेट*), रेड जंगली मुरगा (*गल्लुस गल्लुस*), काला तीतर (*फरान्कोलिनुस फरांकोलिनुस),* ग्रे तीतर (*फरांकोलिनुस पोंडीकेरीअनुस*), बुश क्विल (*परेडीकुलाटा एसियाटिका*), रेड कछुआ डव (*स्टरेपटोपेलिया ट्राक्यूइबारीका*), ब्लू रॉक कबूतर (*कोलुम्बा लिविया*), रिंग डव (*स्टरेपटोपेलिया सिकेक्टो*), स्पोट्टेड छोटा उल्लू (*एथेना बरामा*), ब्लू जे (*कोरासियस बेंगालेंसिस*), पैराकैटस (*पसिट्टाकुला कयानौकेफला*), हूपे *(उपुप एपोपस),* एशियन कोइल (*इउद्यानमय स्कोलोपाकेया*), बाब्बलेरस (*तुरडोइड्स कौडाटस*) विद्यमान है;

और, शीत ऋतु के दौरान प्रतिरूप सुरीनसार-मनसार झीलें जलकुक्कुट की जनसंख्या की अच्छी संख्या को आकर्षित करती हैं और झीले प्रवासी जलकुक्कुट जैसे सामान्य टील (*अनास क्रेक्का*), माल्लार्ड (*अनास प्लैटीरिनचोस),* सामान्य पोचार्ड (*अनास फेरीना*), टफटिड बतख (*अयथया फुलिगुआ*), गडवाल (*अनास स्टरपेरा*), ब्राह्मणी बतख (*टडोर्ना फेररूगिनेया*), विजियन (*अनास पेनेलोपे),* ग्रे बगुला (*अरदेया सिनेरा*), पोंड बगुला (*अरदेया गरायी*), नाइट बगुला *(न्यक्तिसोरक्स न्यक्तिसोरक्स),* छोटा इग्रेट (*इगरेट्टा गरजेट्टा*), केट्टल इग्रेट (*बुबुलकस इबिस*), भारतीय मूरहेन (*गल्लिनुला चलोरोपस*), पर्पल मूरहेन (*पेरचुरिओ ओरफयरो*), वाइट ब्रेस्टेड किंगफ़िशर (*हलयकोनस समयरनेंसिस*), सामान्य किंगफ़िशर (*अलकेडो अथ्थिस*), ग्रे वैगटेल (*मोटाकिल्ला सिनेरा*), तीतर टेल्ड जकाना (*ह्य्द्रोफासिअनुआ चिरुरगुस*), आदि के लिए आदर्श और आकर्षक वास स्थान है;

और, प्रतिरूप झील सीआईटीईएस परिशिष्ट में सूचीबद्ध कछुओं की महत्त्वपूर्ण प्रजातियों अर्थात् भारतीय फ्लैपशैल कछुआ (*लिस्सेमस् पुन्कटाटा*) और भारतीय सॉफ्ट-शेल कछुआ (*नीस्सोनिया गंगेटिकस्*) को भी आश्रय प्रदान करती हैं और झीलें संरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले दर्जनों ग्रामों के लिए पीने और सिंचाई के जल का स्त्रोत भी है;

और, सुरीनसार–मनसार वन्यजीव अभयारण्य में उत्तरी शुष्क मिश्रित पर्णपाती वन, हिमालयन उप-उष्णकटिबंधीय झाड़ी वन, हिमालयन उप-उष्णकटिबंधीय पाइन वन, निचला शिवालिक चीड़ पाइन वन, दोदोनिया झाड़ी वन आते है और वन्यजीव अभयारण्य में और आसपास मुख्य वनस्पति *अकैशिया कटेचु, अकैशिया निलोटिका, अकैशिया मोडेस्टा, फिकस रेकेमोसा, फिकस बेंगालेंसिस, फिकस रेलिगिओसा, बुटेया मोनोस्पेर्मा, लान्नेया कोरोमंडालिका, अलबिज्जिया लेब्बेक, मल्लोटोस फिलिप्पेंसिस, डोडोनेया विस्कोसा, अधाटोडा वसिका, कारिस्सा स्पिनारूम, कोलेबरोकिया ओप्पोसिटिफ्फोलिया, नेरीयम इंडिकम, डालबेरगिया सिस्सू, पुनिका ग्रानातुम, मुरैना कोइनिगि, आपोमेया फिसतुला, सच्चारूम स्पोनटानियम, कयम्बोपोगोन स्पा, पिनुस रोक्बुरघी, जिजिफस जुजुबा, सिजेगियम कुमिनि, इम्बलिका ओफ्फिकिनालिस, वुडफोर्डिया फरूटिकोसा, रूमेक्स हस्टातुस* , आदि पाई जाती हैं;

और, सुरीनसार–मनसार वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पारिस्थितिकी, पर्यावरणीय और जैव-विविधता की दृष्टि से पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में

सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों के समूहों का तथा उनके प्रचालन एवं प्रसंस्करण को निषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इसमें इसके पश्चात् पर्यावरण अधिनियम कहा गया है) की उपधारा (1) तथा धारा 3 की उपधारा (2) खंड (v) और खंड (xiv) एवं उपधारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के जम्मू जिला के सुरीनसार–मनसार वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर (0) शून्य से 3.459 किलोमीटर तक 72.42 वर्ग किलोमीटर विस्तारित क्षेत्र सुरीनसार–मनसार वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात्:-

1. **पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और सीमा.**-(1) सुरीनसार–मनसार वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर शून्य से 3.459 किलोमीटर तक के विस्तार के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन 72.42 वर्ग किलोमीटर होगा और सुरीनसार–मनसार वन्यजीव अभयारण्य के पश्चिमी भाग पर नंदानी वन्यजीव अभयारण्य के साथ निकटवर्ती सीमा के कारण पारिस्थितिकी संवेदी जोन का शून्य विस्तार है।

(2) सुरीनसार–मनसार वन्यजीव अभयारण्य और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण **उपाबंध-I** के रूप में उपाबद्ध है।

(3) सीमा विवरण और अक्षांशों और देशांतरों के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन को सीमांकित करते हुए वन्यजीव अभयारण्य के मानचित्र **उपाबंध -IIक, उपाबंध -IIख** और **उपाबंध -IIग** के रूप में उपाबद्ध है।

(4) सुरीनसार–मनसार वन्यजीव अभयारण्य और पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा के भू-निर्देशांकों की सूची **उपाबंध - III** की सारणी **क** और सारणी **ख** में दी गई है।

(5) मुख्य बिंदुओं पर भू-निर्देशांकों के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची **उपाबंध-IV** के रूप में उपाबद्ध है।

2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना– (1) संघ राज्यक्षेत्र सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजनों के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और संघ राज्यक्षेत्र के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के लिए इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए आंचलिक महायोजना तैयार करेगी और संघ राज्यक्षेत्र में सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत अनुमोदित किया जाएगा।

(2) संघ राज्यक्षेत्र सरकार द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना ऐसी रीति से जो इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए गए हैं, के अनुसार तथा सुसंगत केंद्रीय और संघ राज्यक्षेत्र विधियों के अनुरुप और केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देशों, यदि कोई हों, द्वारा तैयार होगी ।

(3) आंचलिक महायोजना, उक्त योजना में पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय बातों को समाकलित करने के लिए संघ राज्य क्षत्र सरकार के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से तैयार होगी.-

(i) पर्यावरण, पारिस्थितिकी और रिमोट सेंसिंग;

(ii) वन;

(iii) कृषि;

(iv) राजस्व;

(v) शहरी और नगर पालिका;

(vi) पर्यटन विभाग के अंतर्गत सुरीनसार–मनसार विकास प्राधिकरण;

(vii) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;

(viii) अधिसूचित नगर क्षेत्र समिति;

(ix) ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज; और

(x) लोक निर्माण विभाग।

(4) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो और आचंलिक महायोजना सभी अवसंरचना और क्रियाकलापों में, जो अधिक दक्षता और पारिस्थितिकी अनुकूल हों, का संवर्धन करेगी ।

(5) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलुओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे ।

(6) आंचलिक महायोजना विद्यमान और प्रस्तावित भूमि उपयोग विशेषताओं के ब्यौरों से अनुसमर्थित मानचित्र के साथ सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बस्तियों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, फलोउद्यान, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यांकन करेगी।

(7) आंचलिक महायोजना में पारिस्थितिकी संवेदी जोन में विकासात्मक क्रियाकलापों को विनियमित करने के लिए प्रक्रिया प्रदान की जाएगी और सारणी में यथासूचीबद्ध पैरा 4 में प्रतिषिद्ध और विनियमित क्रियाकलापों का पालन किया जाएगा। इसमें स्थानीय समुदायों की आजीविका की सुरक्षा के लिए पारिस्थितिकी-अनुकूल विकास का भी सुनिश्चय और संवर्धन किया जाएगा।

(8) आंचलिक महायोजना प्रादेशिक विकास योजना की सह विस्तारी होगी।

(9) अनुमोदित आंचलिक महायोजना मानीटरी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज होगी ताकि वह इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार मानीटरी के अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सके।

3. **संघ राज्यक्षेत्र सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय.-** संघ राज्यक्षेत्र सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:-

(1) **भू-उपयोग.–** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, उद्यान कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, मनोरंजन के प्रयोजनों के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक या आवासीय या औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा:

परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर इसमें विनिर्दिष्ट प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजनों के लिए कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन मानीटरी समिति की सिफारिश पर और यथा लागू और क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम और केन्द्रीय सरकार या संघ राज्यक्षेत्र सरकार के अन्य नियमों तथा विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से, और इस अधिसूचना के उपबंधों द्वारा स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, जैसे-

(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण;

(ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) कुटीर उद्योगों जिनके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग भी हैं; सुविधाजनक भण्डार और स्थानीय सुविधाएं सहायक पारिस्थितिकी पर्यटन जिसके अन्तर्गत गृह वास सम्मिलित है; और

(v) पैरा 4 के अधीन दिए गए संवर्धित क्रियाकलाप:

परंतु यह भी कि क्षेत्रीय शहरी नियोजन अधिनियम तथा संघ राज्यक्षेत्र सरकार के अन्य नियमों और विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना और संविधान के अनुच्छेद 244 के उपबंधों तथा तत्समय प्रवृत्त विधि, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी आता है, का अनुपालन किए बिना वाणिज्यिक या औद्योगिक विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का प्रयोग अनुमत नहीं होगा:

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंजात कोई गलती, मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् संघ राज्यक्षेत्र सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार ठीक होगी और उक्त गलती के सुधार की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी:

परंतु यह और भी कि गलती के सुधार में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा।

(ख) वनीकरण तथा वास जीर्णोद्धार क्रियाकलापों सहित अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोतों.**- आचंलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक झरनों के आवाह क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और नवीकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी और संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों पर या उनके निकट विकास क्रियाकलाप प्रतिषिद्ध करने के बारे में जो ऐसे क्षेत्रों के लिए अहितकर हो ऐसी रीति से मार्गदर्शक सिद्धांत तैयार किए जाएंगे।

(3) **पर्यटन या पारिस्थितिकी पर्यटन.-** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए होगा।

(ख) पारिस्थितिकी पर्यटन महायोजना संघ राज्यक्षेत्र पर्यटन विभाग द्वारा संघ राज्यक्षेत्र पर्यावरण और वन विभाग के परामर्श से तैयार होगी।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना के एक घटक के रूप में होगी।

(घ) पर्यटन महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन की वहन क्षमता के आधार पर तैयार की जाएगी।

(ङ) पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित होंगे, अर्थात्:-

(i) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट है, नये वाणिज्यिक होटल और रिजॉर्ट के सन्निर्माण अनुज्ञात नहीं होंगे:

परंतु, यह कि संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक होटलों और रिजॉर्ट का स्थापना केवल पूर्व परिभाषित और नामनिर्दिष्ट क्षेत्रों में पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिकी पर्यटन सुविधाओं के लिए ही अनुज्ञात होगा;

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मार्गदर्शक सिद्धांतों के द्वारा तथा राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, द्वारा जारी पारिस्थितिकी–पर्यटन, पारिस्थितिकी-शिक्षा और पारिस्थितिकी-विकास पर बल देते हुए (समय-समय पर यथा संशोधित) जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार होगा;

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा और मानीटरी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर किसी नये होटल या रिसोर्ट या वाणिज्यिक स्थापना का संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जायेगा ।

(4) **नैसर्गिक विरासत.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातों आदि की पहचान की जाएगी और विरासत संरक्षण योजना आंचलिक महायोजना के भाग के रुप में परिरक्षण और संरक्षण के लिए तैयार की जाएगी ।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, स्थापत्य, सौंदर्यपूरक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की और उपक्षेत्रों पहचान और उनके संरक्षण के लिए विरासत योजना आंचलिक महायोजना के भाग के रुप में तैयार की जाएगी।

(6) **ध्वनि प्रदूषण**.- पर्यावरण अधिनियम के अधीन ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 में नियत उपबंधों के अनुसार में पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण और निवारण का अनुपालन किया जाएगा।

(7) **वायु प्रदूषण.**- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण का वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार अनुपालन किया जाएगा।

(8) **बहिस्राव का निस्सरण.**- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सरण, साधारण मानकों के उपबंधों के अनुसार पर्यावरण अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन आने वाले पर्यावरणीय प्रदूषण के निस्सरण के लिए साधारण मानकों या संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा नियत मानकों, जो भी अधिक कठोर हो, के उपबंधों के अनुसार होगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट.-** ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), तारीख 8 अप्रैल, 2016 के द्वारा प्रकाशित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा; अकार्बनिक पदार्थो का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन से बाहर चिन्हित किए गए स्थानों पर पर्यावरण-अनुकूल रीति से किया जाएगा;

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जा सकेगा।

(10) **जैव चिकित्सा अपशिष्ट.**- जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा.-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं.सा.का.नि 343 (अ), तारीख 28 मार्च, 2016 के द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा;

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप जैव-चिकित्सा अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जा सकेगा।

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(12) **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.सां.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(13) **ई–अपशिष्ट.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई–अपशिष्ट प्रबंधन का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित द्वारा प्रकाशित ई–अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) **यानीय यातायात.-** यातायात की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध सम्मिलित किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और संघ राज्यक्षेत्र सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होने तक, मानीटरी समिति सुसंगत अधिनियमों और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय क्रियाकलापों के अनुपालन की मानीटरी करेगी।

(15) **यानीय प्रदूषण.-** लागू विधियों के अनुपालन में यान प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण किया जाएगा और स्वच्छक ईंधनों के उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे।

(16) **औद्योगिक ईकाइयां.-** (क) राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन पर या उसके पश्चात पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर कोई नए प्रदूषित उद्योगों की स्थापना की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

(ख) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी समय-समय पर यथा संशोधित मार्गदर्शक सिद्धान्तों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार, जब तक कि अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को अनुज्ञात किया जाएगा और इसके अतिरिक्त, गैर प्रदूषणकारी उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।

(17) **पहाड़ी ढलानों को संरक्षण.-** पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार होगा:-

(क) आंचलिक महायोजना पहाड़ी ढलानों पर क्षेत्रों का संकेत होगा जहां किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी;

(ख) कटाव के एक उच्च डिग्री के साथ विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों या ढलानों पर किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी ।

4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण अधिनियम के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों जिसके अन्तर्गत तटीय विनियमन जोन, 2011 और पर्यावरणीय समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 और अन्य लागू विधियों के जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) सम्मिलित हैं और किये गये संशोधनों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :-

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	वर्णन
	क. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप	
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर उत्खनन और अपघर्षण इकाइयां।	(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं जिसमें मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए धरती को खोदना सम्मिलित है, के सिवाय सभी प्रकार के नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर उत्खनन और अपघर्षण इकाइयां तत्काल प्रभाव से प्रतिषिद्ध होंगी; (ख) खनन प्रचालन, 1995 की रिट याचिका (सिविल) सं. 202 में टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत संघ के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश 4 अगस्त, 2006 और 2012 की रिट याचिका (सिविल) सं. 435 में गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के आदेश के अनुसरण में होगा ।
2.	प्रदूषण (जल, वायु, मृदा, ध्वनि, आदि) उत्पन करने वाले उद्योगों की स्थापना ।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में कोई नया उद्योग लगाने और वर्तमान प्रदूषणकारी उद्योगों का विस्तार करने की अनुज्ञा नहीं होगी: परंतु यह कि, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी समय-समय पर यथा संशोधित मार्गदर्शक सिद्धान्तों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार, जब तक कि अधिसूचना में ऐसा विनिर्दिष्ट न हों, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को अनुज्ञात किया जाएगा और इसके अतिरिक्त गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्यागों को बढ़ावा दिया जाएगा।
3.	बृहत जल विद्युत परियोजना की स्थापना ।	प्रतिषिद्ध।
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थ का उपयोग या उत्पादन या प्रसंस्करण।	प्रतिषिद्ध।
5.	प्राकृतिक जल निकायों या क्षेत्र भूमि में अनुपचारित बहिर्स्राव का निस्सारण ।	प्रतिषिद्ध।
6.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नई आरा मिलों की स्थापना और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा।
7.	ईंट भट्टों की स्थापना करना।	प्रतिषिद्ध।
8.	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग ।	प्रतिषिद्ध।
	आ. विनियमित क्रियाकलाप	
9.	वाणिज्यिक होटलों और रिसोर्टों की स्थापना ।	पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों लघु अस्थायी संरचनाओं के सिवाय संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट है, नए वाणिज्यिक

		होटल और रिसोर्टों को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: परंतु यह कि, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के परे या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक इनमें से, जो भी निकट हो सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलाप का विस्तार पर्यटन महायोजना और यथा लागू मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरुप होगा।
10.	संनिर्माण क्रियाकलाप ।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट हो, किसी भी प्रकार के नये वाणिज्यिक संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी: परंतु यह कि, स्थानीय लोगों को अपनी आवास सम्बन्धी निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित अपने उपयोग के लिए, अपनी भूमि में भवन उप-विधियों के अनुसार, संनिर्माण करने की अनुज्ञा होगी: परंतु यह कि, गैर–प्रदूषणकारी लघु उद्योगों से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से विनियमित किए जाएंगे और वे न्यूनतम होंगे । (ख) एक किलोमीटर क्षेत्र से परे ये आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे ।
11.	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों में वर्गीकरण के अनुसार समय-समय पर यथा संशोधित गैर-प्रदूषणकारी उद्योग और अपरिसंकटमय में, लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, उद्यान कृषि या पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्री से उत्पादों को उत्पन्न करने वाले कृषि आधारित उद्योग सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।
12.	वृक्षों की कटाई।	(क) संघ राज्य क्षेत्र सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में वृक्षों की कटाई नहीं होगी । (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या संघ राज्यक्षेत्र अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होगे।
13.	वन उत्पादों या गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण ।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
14.	विद्युत और संचार टावरों का परिनिर्माण और केबलों के बिछाए जाने और अन्य बुनियादी ढांचे ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित भूमिगत केबल बिछाने को बढ़ावा दिया जाएगा।
15.	नागरिक सुख सुविधाओं सहित अवसंरचनाएं ।	न्यूनीकरण उपायों को लागू विधियों, नियमों और विनियमनों और उपलब्ध मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार किया जाएगा।
16.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना तथा नवीन सड़कों का संनिर्माण ।	न्यूनीकरण उपायों को लागू विधियों, नियमों और विनियमनों तथा उपलब्ध मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार किया जाएगा।
17.	पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप जैसे गर्म वायु गुब्बारें, हेलीकॉप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइटस, आदि द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।

	क्रियाकलाप करना।	
18.	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण ।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
19.	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन ।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे ।
20.	स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ दुग्धशाला, दुग्ध उद्योग, कृषि और मछली पालन ।	स्थानीय लोगों के उपयोग के लिए लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होंगे।
21.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित बहिर्स्राव का निस्तारण ।	जल निकायों में उपचारित अपशिष्ट जल या बहिर्स्राव के निस्सारण से बचा जाएगा और उपचारित अपशिष्ट जल के पुन:चक्रण और पुन:उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे। अन्यथा लागू विधियों के अनुसार उपचारित बहिर्स्राव के पुनर्चक्रण या प्रवाह के निर्वहन को विनियमित किया जाएगा।
22.	सतही और भूजल का वाणिज्यिक निष्कर्षण ।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
23.	फर्मों, निगम और कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुओं और कुक्कुट फार्मों की स्थापना ।	स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के अलावा लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
24.	खुले कुंआ, बोर कुंआ, आदि कृषि और अन्य उपयोग के लिए ।	सम्बद्ध प्राधिकारी द्वारा क्रियाकलापों की सख्ती से मानीटरी की जायेगी।
25.	ठोस अपशिष्ट का प्रबन्धन।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
26.	पारिस्थितिकी पर्यटन।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
27.	वाणिज्यिक सूचनापट्ट और होर्डिंग।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
28.	पोलिथीन बैगों का प्रयोग ।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
29.	विदेशी प्रजातियों को लाना ।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
इ. संवर्धित क्रियाकलाप		
30.	वर्षा जल संचयन।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
31.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
32.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को अंगीकृत करना ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
33.	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर भी हैं।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
34.	नवीकरणीय ऊर्जा और ईंधन का उपयोग ।	बायोगैस, सौर प्रकाश, इत्यादि को बढ़ावा दिया जाएगा।
35.	कृषि वानिकी ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
36.	बागान लगाना और जड़ी बूटियों का रोपण ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
37.	पारिस्थितिकी अनुकूल परिवहन का उपयोग ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
38.	कौशल विकास ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
39.	निम्नीकृत भूमि/वन/वास की बहाली ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
40.	पर्यावरणीय जागरुकता ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।

5. पारिस्थितिकी संवेदी जोन अधिसूचना की मानीटरी के लिए मानीटरी समिति.- केंद्रीय सरकार, पर्यावरण अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन इस अधिसूचना के उपबंधों की प्रभावी मानीटरी के लिए, मानीटरी समिति का गठन करती है, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात्:-

क्र.सं.	निगरानी समिति का गठन	पद
1.	संभागीय आयुक्त, जम्मू	अध्यक्ष;
2.	जिला कलेक्टर / उपायुक्त, उधमपुर / जम्मू / सांबा	सदस्य;
3.	क्षेत्रीय वन्यजीव वार्डन, जम्मू क्षेत्र, जम्मू	सदस्य;
4.	वन, पारिस्थितिकी और रिमोट सेंसिंग विभाग, जम्मू और कश्मीर सरकार या पारिस्थितिकी के एक प्रतिनिधि या पर्यावरण के क्षेत्र में एक विशेषज्ञ को संघ राज्यक्षेत्र की सरकार द्वारा नामित किया जाना है	सदस्य;
5.	गैर-सरकारी संगठन (पारिस्थितिकी, पर्यावरण संरक्षण सहित विरासत संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वाले) के एक प्रतिनिधि को संघ राज्यक्षेत्र सरकार द्वारा नामित किया जाना है	सदस्य;
6.	सदस्य, जम्मू और कश्मीर जैव विविधता परिषद	सदस्य;
7.	आवास और शहरी नियोजन विभाग / ग्रामीण विकास विभाग के प्रतिनिधि	सदस्य;
8.	कृषि उत्पादन विभाग के प्रतिनिधि	सदस्य;
9.	वन्यजीव वार्डन, कठुआ क्षेत्र	सदस्य- सचिव

6. निर्देश-निबंधन.- (1) मानीटरी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन की मानीटरी करेगी।

(2) मानीटरी समिति का कार्यकाल अगले आदेश होने तक किया जाएगा, परंतु यह कि समिति के गैर-सरकारी सदस्यों को समय-समय पर संघ राज्यक्षेत्र सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।

(3) उन क्रियाकलापों की, जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533 (अ), तारीख 14 सितम्बर, 2006 की अनुसूची में सम्मिलित हैं, और जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, सिवाय इसके जो पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के, मानीटरी समिति द्वारा वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं के आधार पर संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण अनापत्ति के लिए केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(4) उन क्रियाकलापों की, जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533 (अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में सम्मिलित नहीं है, और जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, सिवाय इसके पैरा 4 के अधीन सारणी में यथाविर्निष्ट प्रतिषिद्ध क्रिलाकलापों के मानीटरी समिति द्वारा वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं के आधार पर संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(5) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध उपायुक्त ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण अधिनियम की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा।

(6) मानीटरी समिति मुद्दा दर मुद्दा के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

(7) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक के अपने क्रियाकलापों की वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट संघ राज्य क्षेत्र के मुख्य वन्यजीव वार्डन को **उपाबंध-V** में उपाबद्ध प्रोफार्मा में उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी ।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए ऐसे निर्देश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

7. अतिरिक्त उपाय.- इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए केंद्रीय सरकार और संघ राज्य क्षेत्र सरकार, अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगी।

8. उच्चतम न्यायालय, के आदेश आदि.- इस अधिसूचना के उपबंध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित किए गए या पारित किए जाने वाले आदेश, यदि कोई हो, के अध्यधीन होंगे।

[फा. सं. 25/30/2016-ईएसजेड-आरई]

डॉ. सतीश चन्द्र गढ़कोटी, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध- I

सुरीनसार–मनसार वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण

पूर्वी भाग में पारिस्थितिकी संवेदी जोन धार सड़क और कथेल ग्राम को पार करके पयेम, दून ग्रामों से होते हुए जाती है और परदेह ग्राम तक गंभीर खाद तक साथ जाती है।

दक्षिण पूर्वी भाग में, पारिस्थितिकी संवेदी जोन को.6 मनसर खंड जीनदराह में आड़े–तिरछे जाती है यह जम्मू वन संभाग के 5 मनसर खंड जीनदराह में उन्दहल ग्राम के दक्षिणी भाग पर जाती है और इसके बाद संबा वन संभाग के को.43/ महोरेगढ़ श्रेणी जाती है और इसके बाद को 42/ महोरेगढ़ श्रेणी और मनसर संबा सड़क को पार करके जाती है।

दक्षिणी भाग में, पारिस्थितिकी संवेदी जोन को.39/ महोरेगढ़, बबनेरगढ़ ग्राम के को.38/ महोरेगढ़ उत्तर में आड़े-तिरछे जाती है, इसके बाद मनसर वन के 36/महोरेगढ़ दक्षिण, 33/महोरेगढ़, 32/ महोरेगढ़, कुमं ग्राम के 30/ महोरेगढ़ उत्तर, 29/ महोरेगढ़, 23/ पुरमंडल (सांबा वन संभाग) और 21 / पुरमंडल में जाती है और इसके बाद 20/ पुरमंडल और 21 पुरमंडल और 20/ पुरमंडल और 44/ बहू की सीमा, 33/ पुरमंडल की सीमा के साथ मुड़ती है और डागर ग्राम के 34/ पुरमंडल दक्षिण में जाती है और पांजोवा के सामानी नाला उत्तर के साथ जाती है।

दक्षिणी-पश्चिमी भाग में, पारिस्थितिकी संवेदी जोन 34/पुरमंडल और 35/ पुरमंडल की सीमा के साथ मुड़ती है, सामानी नाला के साथ मुड़कर और को.42/ बहू और 35/ पुरमंडल, को.46/ बहू और 35/ पुरमंडल, को.46/ बहू और 41/ पुरमंडल, को.47/ बहू और 41/ पुरमंडल, को.48 बहू और 41/ पुरमंडल की सीमा के साथ, 48/ बहू, 49 / बहू और 50/ बहू की सीमा के साथ मुड़ती है।

पश्चिमी भाग में, पारिस्थितिकी संवेदी जोन एथेम ग्राम के 51/ बहू, 52/ बहू उत्तर की सीमा के साथ मुड़कर, सुरीनसार-सीधरा सड़क को पार करके जाती है, को.53/ बहू में जाती है, इसके बाद 56/ बहू, 58/बहू और 59/ बहू के बीच की सीमा के साथ मुड़ती है, इसके बाद तवी नदी को छूती है। पारिस्थितिकी संवेदी जोन को.15/ जीनदराह की सीमा के साथ तवी नदी के साथ मुड़ती है। पारिस्थितिकी संवेदी जोन नंदनी वन्यजीव अभयारण्य के साथ सुरीनसार–मनसार वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के साथ शून्य रखा गया है, पारिस्थितिकी संवेदी जोन दोआ ग्राम के उत्तर के साथ मुड़ती है, को.5 टनल खंड जीनदराह श्रेणी में जाती है, इसके बाद 4 टनल खंड जीनदराह श्रेणी में जाती है।

उत्तर पश्चिमी भाग में, पारिस्थितिकी संवेदी जोन को.4/टी, इसके बाद तारा ग्राम के दक्षिण, इसके बाद कह ग्राम के दक्षिण के साथ जाती है।

उत्तरी भाग में, पारिस्थितिकी संवेदी जोन रीफल श्रेणी, मार्टिन ग्राम के उत्तर तक के अंतर्गत आती है, इसके बाद नगोला ग्राम के उत्तर नाला में जाती है, उपली सरी और धान के उत्तर नाला के साथ मुड़ती है। इसके बाद पारिस्थितिकी संवेदी जोन पेरा, बुथाना ग्रामों के उत्तर की ओर मुड़ती है।

उत्तर पूर्वी भाग में, पारिस्थितिकी संवेदी जोन तवी नदी को पार करके जाती है और जम्बल, जंदली ग्रामों के उत्तर के साथ मुड़ती है।

उपाबंध- II क

मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ सुरीनसार-मनसार वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र

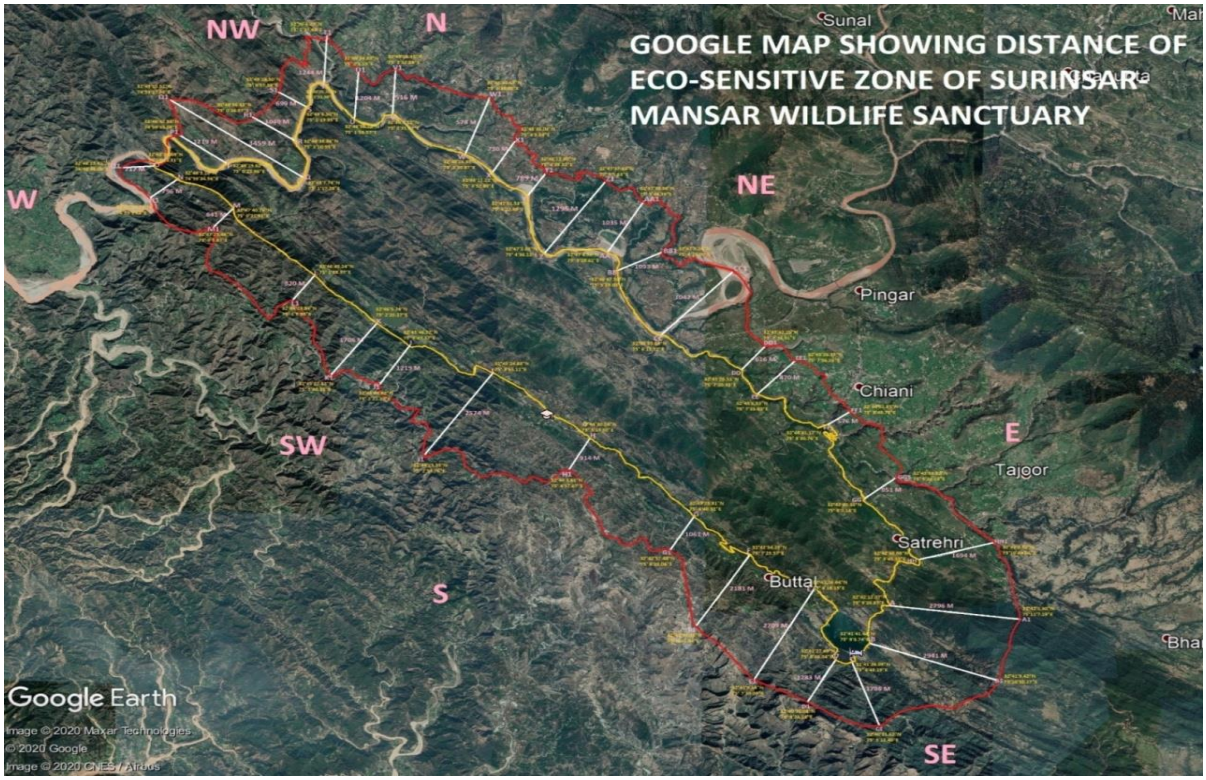

उपाबंध-II ख

सुरीनसार-मनसार वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र

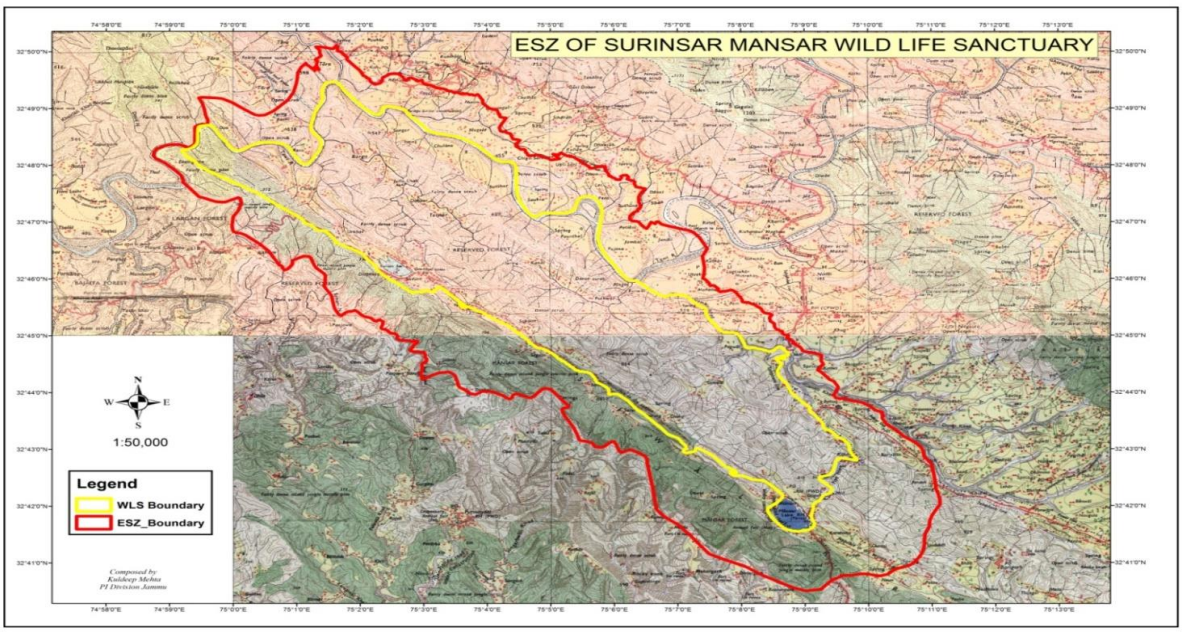

उपाबंध-II ग

सुरीनसार-मनसार वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का भूमि-उपयोग भूमि कवर मानचित्र

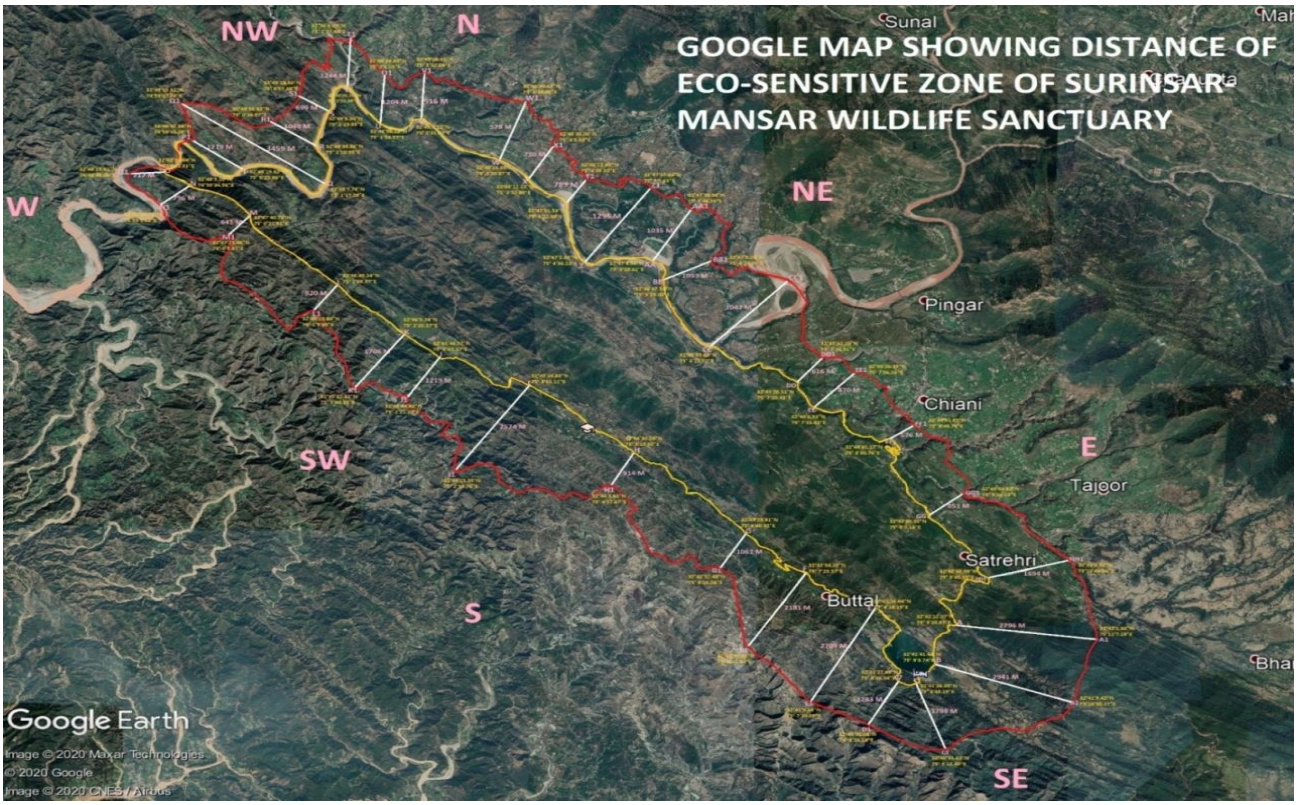

उपाबंध- III

सारणी क : मानचित्र पर दर्शाये गए अनुसार सुरीनसार-मनसार वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के साथ मुख्य अवस्थानों के अक्षांश-देशांतर

क्र.सं.	बिंदु	दिशा	भू-निर्देशांक	
			अक्षांश	देशांतर
1	क	दक्षिण-पूर्व	32°42'12.07"उ	75° 9'20.87"पू
2	ख	दक्षिण-पूर्व	32°41'41.44"उ	75° 9'3.74"पू
3	ग	दक्षिण-पूर्व	32°41'26.09"उ	75° 8'49.19"पू
4	घ	दक्षिण-पूर्व	32°41'27.49"उ	75° 8'36.04"पू
5	ङ	दक्षिण-पूर्व	32°42'26.64"उ	75° 8'18.15"पू
6	च	दक्षिण	32°42'54.25"उ	75° 7'25.57"पू

7	छ	दक्षिण	32°43'25.81"उ	75° 6'40.32"पू
8	ज	दक्षिण	32°44'30.24"उ	75° 5'15.07"पू
9	झ	दक्षिण	32°45'24.88"उ	75° 3'55.11"पू
10	ञ	दक्षिण-पश्चिम	32°45'46.52"उ	75° 2'47.37"पू
11	ट	दक्षिण-पश्चिम	32°46'5.74"उ	75° 2'20.27"पू
12	ठ	दक्षिण-पश्चिम	32°46'45.24"उ	75° 1'28.97"पू
13	ड़	दक्षिण-पश्चिम	32°47'40.76"उ	75° 0'21.91"पू
14	ढ़	पश्चिम	32°48'5.10"उ	74°59'34.56"पू
15	ण	पश्चिम	32°48'16.84"उ	74°59'13.51"पू
16	त	पश्चिम	32°48'19.62"उ	75° 0'12.96"पू
17	थ	पश्चिम	32°48'7.74"उ	75° 1'17.28"पू
18	द	उत्तर-पश्चिम	32°48'38.86"उ	75° 1'10.55"पू
19	ध	उत्तर-पश्चिम	32°49'6.30"उ	75° 1'19.95"पू
20	न	उत्तर-पश्चिम	32°49'26.16"उ	75° 1'33.94"पू
21	प	उत्तर	32°48'56.28"उ	75° 1'59.57"पू
22	फ	उत्तर	32°49'0.12"उ	75° 2'31.27"पू
23	ब	उत्तर	32°48'26.89"उ	75° 3'30.97"पू
24	भ	उत्तर	32°48'11.22"उ	75° 3'52.89"पू
25	म	उत्तर	32°47'51.53"उ	75° 4'22.49"पू
26	य	उत्तर	32°47'3.83"उ	75° 4'36.11"पू
27	कक	उत्तर	32°47'4.56"उ	75° 5'29.62"पू
28	खख	उत्तर	32°46'47.53"उ	75° 5'38.00"पू
29	गग	उत्तर	32°45'55.63"उ	75° 6'13.72"पू
30	घघ	पूर्व	32°45'26.51"उ	75° 7'20.35"पू
31	ङङ	पूर्व	32°45'6.53"उ	75° 7'33.92"पू
32	चच	पूर्व	32°44'41.17"उ	75° 8'30.76"पू
33	छछ	पूर्व	32°43'40.30"उ	75° 9'0.14"पू
34	जज	पूर्व	32°42'48.98"उ	75° 9'45.33"पू

सारणी ख: मानचित्र पर दर्शाये गए अनुसार सुरीनसार-मनसार वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भू-निर्देशांक को सारणी में दर्शाया गया है

क्र.सं.	बिंदु	अभयारण्य की सीमाओं के संबंध में दिशा	भू-निर्देशांक	
			अक्षांश	देशांतर
1.	क1	दक्षिण-पूर्व	32°42'1.30"उ	75° 11'7.19"पू
2.	ख1		32°41'9.42"उ	75° 10'50.17"पू
3.	ग1		32°40'31.62"उ	75° 9'12.40"पू
4.	घ1		32°40'50.08"उ	75° 8'14.18"पू
5.	ड.1		32°41'9.14"उ	75° 7'30.05"पू
6.	च1	दक्षिण	32°41'54.48"उ	75° 6'41.84"पू
7.	छ1		32°42'57.48"उ	75° 6'20.06"पू
8.	ज1		32°44'3.83"उ	75° 4'57.87"पू
9.	झ1		32°44'15.95"उ	75° 2'58.76"पू
10.	ञ1	दक्षिण-पश्चिम	32°45'14.62"उ	75° 2'21.12"पू
11.	ट1		32°45'22.33"उ	75° 1'40.35"पू
12.	ठ1		32°46'23.84"उ	75° 1'9.80"पू
13.	ड1		32°47'25.46"उ	75° 0'5.87"पू
14.	ढ1	पश्चिम	32°47'50.71"उ	74° 59'9.68"पू
15.	ण1		32°48'15.41"उ	74° 58'46.09"पू
16.	त1		32°48'42.88"उ	74° 59'13.51"पू
17.	थ1		32°49'10.51"उ	74° 59'27.88"पू
18.	द1	उत्तर-पश्चिम	32°48'56.83"उ	75° 0'36.97"पू
19.	ध1		32°49'18.50"उ	75° 0'57.38"पू
20.	न1		32°50'6.29"उ	75° 1'37.48"पू
21.	प1	उत्तर	32°49'34.83"उ	75° 2'3.15"पू
22.	फ1		32°49'16.95"उ	75° 2'32.86"पू
23.	ब1		32°48'44.65"उ	75° 3'38.98"पू
24.	भ1		32°48'30.06"उ	75° 4'9.84"पू
25.	म1		32°48'12.80"उ	75° 4'39.92"पू
26.	य1	उत्तर पूर्व	32°47'37.43"उ	75° 5'5.63"पू
27.	कक1		32°47'33.86"उ	75° 5'48.39"पू
28.	खख1		32°47'5.24"उ	75° 6'15.00"पू
29.	गग1		32°46'48.78"उ	75° 7'13.36"पू

30.	घघ1	पूर्व	32°45'42.20"उ	75° 7'34.91"पू
31.	ङङ1		32°45'26.39"उ	75° 7'56.26"पू
32.	चच1		32°44'51.85"उ	75° 8'48.73"पू
33.	छछ1		32°43'56.82"उ	75° 9'26.18"पू
34.	जज1		32°43'3.52"उ	75° 10'48.01"पू

उपाबंध-IV

भू-निर्देशांकों के साथ सुरीनसार-मनसार वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची

क्र.सं.	ग्राम/ हेमलेट्स के नाम	भू-निर्देशांक	
		उत्तर	पूर्व
1.	तारहा (अंशत:)	32⁰ 50’ 01.6	074⁰ 59’ 43.1
2.	दोया	32⁰ 48’ 55.8	074⁰ 59’ 42.0
3.	केराइन चोआ	32⁰ 48’ 10.8	075⁰ 01’ 10.9
4.	बारनी	32⁰ 48’ 49.0	075⁰ 00’ 53.4
5.	चान्नी	32⁰ 41’ 19.62	075⁰ 09’ 30.64
6.	पाडाय	32⁰ 40’ 46.85	075⁰ 10’ 24.43
7.	काकरीया	32⁰ 42’ 46.1	075⁰ 09’ 46.29
8.	बाट्टाल	32⁰ 43’ 43.10	075⁰ 09’ 23.52
9.	बारयालटा	32⁰ 43’ 05.93	075⁰ 10’ 26.97
10.	परदय	32⁰ 42’ 26.54	075⁰ 10’ 58.95
11.	काथेल	32°44'18.05"	75° 8'56.60"
12.	कालेय	32⁰ 45’ 00.87	075⁰ 08’ 36.65
13.	दून	32⁰ 45’ 18.54	075⁰ 08’ 11.86
14.	पायेम	32⁰ 45’ .32.82	075⁰ 07’ 51.66
15.	काथार	32⁰ 45’ 51.97	075⁰ 07’ 35.60
16.	पाटाइडी	32⁰ 46’ 53.03	075⁰ 06’ 31.04
17.	सेरसिकाथार	32⁰ 45’ 37.44	075⁰ 07’ 34.15
18.	सैडी	32⁰ 48’ 10.75	075⁰ 04’ 16.77
19.	सोउदला	32⁰ 47’ 48.81	075⁰ 04’ 35.94
20.	जाम्बाल	32° 46' 40.35"	75° 6' 19.41 "
21.	पाजाना	32⁰ 46’ 27.57	075⁰ 06’ 10.89
22.	बाथुना	32°47' 9.83"	75° 6'5.14"
23.	नगोला	32⁰ 48’ 21.33	075⁰ 04’ 00.81

24.	तान्न	32⁰ 47' 28.18	075⁰ 05' 00.19
25.	सराइल	32⁰ 43' 21.78	075⁰ 06' 16.32
26.	बराल	32⁰ 43' 58.93	075⁰ 05' 31.47
27.	देओल	32⁰ 42' 05.34	075⁰ 07' .31.36
28.	पालोनी	32⁰ 41' 57.58	075⁰ 07' 44.18
29.	जंदली	32°46'30.76"	75° 6'26.84"
30.	पंजोआ (अंशत:)	32°45'26.04"	75° 1'41.60"

उपाबंध-V

की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान:

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।
2. बैठकों का कार्यवृत : (कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का उल्लेख करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक उपाबंध में संलग्न करें) ।
3. आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अधीन पर्यटन महायोजना भी है।
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सार (पारिस्थितिकी संवेदी जोन वार) । ब्यौरे उपाबंध के रूप में संलग्न किए जाएं।
5. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाले क्रियाकलापों की संवीक्षा के मामलों का सार। (ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किए जाएं)।
6. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाले क्रियाकलापों की संवीक्षा के मामलों का सार । (ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किए जाएं)।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सार ।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi,the 17th January, 2022

S.O. 210(E).—WHEREAS, a draft notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 122 (E), dated the 12th January, 2021, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within the period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

AND WHEREAS, copies of the Gazette containing the said draft notification were made available to the public on the 13th January, 2021;

AND WHEREAS, no objections and suggestions were received from persons and stakeholders in response to the draft notification;

AND WHEREAS, the Surinsar-Mansar Wildlife Sanctuary with an area of 97.82 square kilometers, is located between river Tawi in the North, Udhampur-Samba road and Gombir Khad in the East, Bottal-Bilour road and Mansar Lake in the South-East, river Tawi and Surinsar Lake in the North-

West and the Sanctuary is spread over three districts of Jammu, Udhampur and Samba and the major part falls in the Jammu District in the Union Territory of Jammu and Kashmir;

AND WHEREAS, the Surinsar-Mansar Wildlife Sanctuary was declared as Wildlife Sanctuary *vide* notification number SRO 138 dated 10th April 1990 and the Wildlife Sanctuary also includes twin Surinsar and Mansar Lake which was added in the list of Ramsar Wetlands of international importance in the year 2005 and also included in the National Wetland Conservation Programme of Government of India;

AND WHEREAS, the area represents a "gene pool" for propagation, protection and perpetuation of various wild flora and fauna species and the recorded faunal species from Surinsar-Mansar Wildlife Sanctuary includes 15 species of mammals, 86 species of birds, 17 species of reptiles, 8 species of fishes (*Kotwal. 2012*);

AND WHEREAS, the Surinsar-Mansar Wildlife Sanctuary and its adjacent forest area are given priority for protection purpose due to its rich wildlife and harbors viable population of the endangered faunal species like Indian long billed vulture (***Gyps indicus*****)**, Indian white-backed vulture (*Gyps bengalensis*), steppe eagle (***Aquila nipalensis***), common leopard (*Panthera pardus*), Indian monitor lizard (*Varanus bengalensis*);

AND WHEREAS, the major faunal species found in the Sanctuary are barking deer (*Muntiacus muntejak)*, nilgai *(Boselaphus tragocamelus)*, goral *(Nemorhaedus goral)*, wild boar *(Sus scorfa)*, jackal *(Canis aureus)*, hare *(Lepus nigricollis)*, jungle cat *(Felis chaua)*, porcupine *(Hystrix indica)*, mongoose (*Herpestes edwardis)*, agama lizard (*Agama agronensis)*, garden lizard *(Calotes vesicolor)*, Indian cobra (*Naja naja)*, common krait (*Bungarus caerulus)*, Russel's viper (*Vipera russeli russeli)*, rat snake *(Ptyas mucosus)*, grass snake *(Amphiesma stolata)*, cat snake *(Boiga trigonata)*, Indian kukri snake *(Oligidon ornensis)*, checkered keelback snake *(Xenochrophis piscator)*, Indian bull frog (*Haplobatracus tigrinis*), Indian toad (*Bufo melanosticus*), marbled toad (*Bufo stomaticus*) etc;

AND WHEREAS, the important avi-faunal species present in the area are pea fowl *(Pavo cristatus)*, Red jungle fowl *(Gallus gallus)*, black partridges *(Francolinus francolinus)*, grey partridge *(Francolinus pondicerianus)*, bush quil *(Prediculata asiatica)*, red turtle dove *(Streptopelia tranquebarica)*, blue rock pigeon *(Columba livia)*, ring dove *(Streptopelia cecacto)*, spotted owlet *(Athena brama)*, blue jay *(Coracias benghalensis)*, parakeets *(Psittacula cyanoocephala)*, hoope *(Upup aepops)*, Asian koel *(Eudyanmys scolopacea)*, babblers *(Turdoides caudatus);*

AND WHEREAS, the Surinsar-Mansar twin scared lakes attract a good number of waterfowl populations during the winter months and the lakes are an ideal and attractive habitat for migratory waterfowl such as common teal (*Anas crecca*), mallard (*Anas platyrhynchos*), common pochard (*Anas ferina*), tufted duck (*Aythya fuligua*), gadwall (*Anas strpera*), brahminy duck (*Tadorna ferruginea*, wigeon (*Anas penelope*), grey heron (*Ardea cinera*), pond heron (*Ardea grayii*), night heron (*Nycticorax nycticorax*), little egret (*Egretta garzetta*), cattle egret (*Bubulcus ibis*), Indian moorhen (*Gallinula chloropas*), purple moorhen (*Perchurio orphyroo*), white breasted kingfisher (*Halycons smyrnensis*), common kingfisher (*Alcedo atthis*), grey wagtail (*Motacilla cinera*), pheasent tailed jacana (*Hydrophasianua chirurgus) etc.*

AND WHEREAS, the twin lake also supports important species of turtles namely, Indian flapshell turtle (*Lissemys punctata*) and Indian soft-shell turtle (*Nilssonia gangeticus*) listed in CITES Appendices and the lakes are also a source of drinking and irrigation water to dozens of villages falling down stream to the protected area.

AND WHEREAS, the Surinsar-Mansar Wildlife Sanctuary consists of northern dry mixed deciduous forests, Himalayan sub-tropical scrub forests, Himalayan subtropical pine forest, lower Shiwalik chir pine forest, Dodonea scrub forests and the major vegetation found in and around wildlife sanctuary are *Acacia catechu, Acacia nilotica, Acacia modesta, Ficus recemosa, Ficus bengalensis, Ficus religiosa, Butea monosperma, Lannea coromandalica, Albizzia lebbeck, Mallotous philippensis , Dodonea viscosa, Adhatoda vasica, Carissa spinarum, Colebrookia oppositiffolia, Nerium indicum, Dalbergia sissoo, Punica granatum, Murraya koenigii, Ipomea fistula, Saccharum spontanium, Cymbopogon* spp, *Pinus roxburghii., Zizyphus Jujuba, Syzygium cumini, Emblica officinalis, Woodfordia fruticosa, Rumex hastatus* etc.;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of

Surinsar-Mansar Wildlife Sanctuary which are specified in paragraph 1 as Eco-sensitive Zone from ecological, environmental and biodiversity point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) (hereafter in this notification referred to as the Environment Act), read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area of 72.42 square kilometers to an extent varying from (0) Zero to 3.459 kilometers around the boundary of Surinsar-Mansar Wildlife Sanctuary, in the Union territory of Jammu and Kashmir as the Surinsar-Mansar Wildlife Sanctuary Eco-sensitive Zone (hereafter in this notification referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:-

1. **Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone. –** (1) The Eco-sensitive Zone shall be of 72.42 square kilometres with an extent zero to 3.459 kilometres around the boundary of Surinsar-Mansar Wildlife Sanctuary and the zero extent of the Eco-sensitive zone is due to contiguous border with Nandani Wildlife Sanctuary on the western side of the Surinsar-Mansar Wildlife Sanctuary.

   (2) The boundary description of the Surinsar-Mansar Wildlife Sanctuary and its Eco-sensitive Zone as appended as **Annexure-I.**

   (3) The maps of the Wildlife Sanctuary demarcating Eco-sensitive Zone along with boundary details and latitudes and longitudes are appended as **Annexure-IIA, Annexure-IIB and Annexure-IIC.**

   (4) Lists of geo co-ordinates of the boundary of Surinsar-Mansar Wildlife Sanctuary and Eco-sensitive Zone are given in Table **A** and Table **B** of **Annexure-III.**

   (5) The list of villages falling in the Eco-sensitive Zone along with their geo co-ordinates at prominent points is appended as **Annexure-IV.**

2. **Zonal Master Plan for Eco-sensitive Zone.-** (1) The Union territory Government shall, for the purposes of the Eco-sensitive Zone prepare a Zonal Master Plan within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification and get it duly approved by the competent authority in the Union territory.

   (2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the Union territory Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and Union territory laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

   (3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following Departments of the Union territory Government, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan -

      i. Environment, Ecology and Remote Sensing;
      ii. Forest;
      iii. Agriculture;
      iv. Revenue;
      v. Urban and Municipality;
      vi. Surinsar-Mansar Development Authority under Tourism Department;
      vii. Irrigation and Flood Control;
      viii. Notified town area committee;
      ix. Rural Development and Panchayati Raj; and
      x. Public Works Department.

(4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies with supporting maps giving details of existing and proposed land use features.

(7) The Zonal Master Plan shall provide mechanism for regulating developmental activities in Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited and regulated activities listed in the Table in paragraph 4 and also ensure and promote eco-friendly development for security of local communities' livelihood.

(8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.

(9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

3. Measures to be taken by the Union Territory Government.- The Union territory Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) Land use.– (a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or residential or industrial activities:

Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purposes other than that specified at herein above, within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of Central Government or Union territory Government as applicable and *vide* provisions of this notification, to meet the residential needs of the local residents and for activities such as-

(i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;

(ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities;

(iii) small scale industries not causing pollution;

(iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and

(v) promoted activities given under paragraph 4:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of the Union Territory Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the Union territory Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

(b) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

(2) Natural water bodies.-The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the Union territory Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) Tourism or eco-tourism.- (a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.

(b) The Tourism Master Plan shall be prepared by the Union territory Department of Tourism in consultation with the Union territory Departments of Environment and Forests.

(c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.

(d) The Tourism Master Plan shall be drawn based on the study of carrying capacity of the Eco-sensitive Zone.

(e) The activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) new construction of hotels and resorts shall not be allowed within one kilometre from the boundary of the protected area or upto the extent of the Eco-sensitive Zone, whichever is nearer:

Provided that beyond the distance of one kilometre from the boundary of the protected area till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;

(ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by the National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development;

(iii) until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel, resort or commercial establishment construction shall be permitted within Eco-sensitive Zone area.

(4) Natural heritage.- All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.

(5) Man-made heritage sites.- Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part of the Zonal Master Plan.

(6) Noise pollution. - Prevention and control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of the Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 made under the Environment Act.

(7) Air pollution.- Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made there under.

(8) Discharge of effluents.- Discharge of treated effluents in the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environment Act and the rules made there under or standards stipulated by the Union territory Government, whichever is more stringent.

(9) Solid wastes.- Disposal and Management of solid wastes shall be as under-

(a) the solid waste disposal and management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016; the inorganic material may be disposed of in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone;

(b) safe and Environmentally Sound Management of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within the Eco-sensitive Zone.

(10) Bio-Medical Waste.– Bio-Medical Waste Management shall be as under-

(a) the Bio-Medical Waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 343 (E), dated the 28th March, 2016;

(b) safe and Environmentally Sound Management of Bio-Medical Wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within the Eco-sensitive Zone.

(11) Plastic waste management.- The plastic waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time**.**

(12) Construction and demolition waste management.- The construction and demolition waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.

(13) E-waste.- The e - waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, as amended from time to time.

(14) Vehicular traffic.– The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the competent authority in the Union territory Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(15) Vehicular pollution.- Prevention and control of vehicular pollution shall be incompliance with applicable laws and efforts shall be made for use of cleaner fuels.

(16) Industrial units.– (a) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be permitted to be set up within the Eco-sensitive Zone.

(b) Only non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per the classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, as amended from time to time, unless so specified in this notification, and in addition, the non-polluting cottage industries shall be promoted.

(17) Protection of hill slopes.- The protection of hill slopes shall be as under-

(a) the Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted;

(b) construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall not be permitted.

4. List of activities prohibited or to be regulated within Eco-sensitive Zone.- All activities in the Eco-sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment Act and the rules made there under including the Coastal Regulation Zone, 2011 and the Environmental Impact Assessment

Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act, 1972 (53 of 1972), and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S. No.	Activity	Description
	A. Prohibited Activities	
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units shall be prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses within Eco- sensitive Zone; (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated the 4th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated the 21st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.).	New industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall not be permitted: Provided that, non-polluting industries shall be allowed within Eco-Sensitive Zone as per the classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, as amended from time to time, unless so specified in this notification and in addition, the non-polluting cottage industries shall be promoted.
3.	Establishment of major hydroelectric project.	Prohibited
4.	Use or production or processing of any hazardous substance.	Prohibited
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited
6.	Setting up of new saw mills.	New or expansion of existing saw mills shall not be permitted within the Eco-sensitive Zone.
7.	Setting up of brick kilns.	Prohibited
8.	Commercial use of firewood	Prohibited
	B. Regulated Activities	
9.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the Protected Area or upto the extent of the Eco-sensitive zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for Eco-tourism activities: Provided that, beyond one kilometer from the boundary of the protected Area or upto the extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism

		Master Plan and guidelines as applicable.
10.	Construction activities.	(a) New commercial construction of any kind shall not be permitted within one kilometer from the boundary of the Protected Area or upto extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities listed in sub-paragraph (1) of paragraph 3 as per building bye-laws to meet the residential needs of the local residents: Provided that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any. (b) Beyond one kilometer it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
11.	Small scale non polluting industries.	Non polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, as amended from time to time, and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent Authority.
12.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees in the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the Union Territory Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or Union Territory Act and the rules made there under.
13.	Collection of Forest Produce or Non-Timber Forest Produce.	Regulated under applicable laws.
14.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable laws of underground cabling may be promoted.
15.	Infrastructure including civic amenities.	Taking measures of mitigation, as per applicable laws, rules and regulations and available guidelines.
16.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Taking measures of mitigation, as per applicable laws, rules and regulations and available guidelines.
17.	Undertaking other activities related to tourism like over flying over the Eco-sensitive Zone area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, etc.	Regulated as per the applicable laws.

18.	Protection of Hill Slopes and river banks.	Regulated as per the applicable laws.
19.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
20.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted as per the applicable laws for use of locals.
21.	Discharge of treated waste water/effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water or effluents shall be avoided to enter into the water bodies and efforts shall be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise the discharge of treated waste water/effluent shall be regulated as per the applicable laws.
22.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated under applicable laws.
23.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate and companies.	Regulated as per applicable laws except for meeting local needs.
24.	Open Well, Bore Well, etc. for agriculture or other usage.	Regulated and the activity should be strictly monitored by the appropriate authority.
25.	Solid Waste Management.	Regulated as per the applicable laws.
26.	Eco-tourism.	Regulated as per the applicable laws.
27.	Commercial Sign boards and hoardings.	Regulated as per the applicable laws.
28.	Use of polythene bags.	Regulated as per the applicable laws.
29.	Introduction of exotic species	Regulated as per the applicable laws.
C. Promoted Activities		
30.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
31.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
32.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
33.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
34.	Use of renewable energy and fuels.	Bio-gas, solar light etc. shall be actively promoted.
35.	Agro-Forestry.	Shall be actively promoted.
36.	Plantation of Horticulture and Herbals.	Shall be actively promoted.
37.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.

38.	Skill Development.	Shall be actively promoted.
39.	Restoration of Degraded Land/ Forests/ Habitat.	Shall be actively promoted.
40.	Environmental Awareness.	Shall be actively promoted.

5. Monitoring Committee for Monitoring the Eco-sensitive Zone Notification.- For effective monitoring of the provisions of this notification under sub-section (3) of section 3 of the Environment Act, the Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, comprising of the following, namely:-

S. No.	Constituent of the Monitoring Committee	Designation
1.	Divisional Commissioner, Jammu	Chairman;
2.	District Collector/Deputy Commissioner Udhampur/Jammu/Samba	Member;
3.	Regional Wildlife Warden, Jammu Region, Jammu	Member;
4.	One representative of department of Forests, Ecology and Remote Sensing, Government of Jammu and Kashmir or an expert in area of Ecology and Environment to be nominated by Union Territory Government.	Member;
5.	One representative of the Non-Governmental Organization (working in the field of Ecology, Environment including Heritage Conservation) to be nominated by the Union Territory Government	Member;
6.	Member, Jammu and Kashmir Biodiversity Council	Member;
7.	A representative of Housing and Urban Planning Department/Rural Development Department	Member;
8.	A representative of Agriculture Production Department	Member;
9.	Wildlife Warden, Kathua region	Member-Secretary

6. Terms of reference. – (1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

(2) The tenure of the Monitoring committee shall be till further orders, provided that the non-official members of the Committee shall be nominated by the Union territory Government from time to time.

(3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the *erstwhile* Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the *erstwhile* Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.

(5) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Deputy Commissioner(s) shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment Act, against any person who contravenes the provisions of this notification.

(6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden in the Union territory as per proforma appended at Annexure V.

(8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. Additional measures. The Central Government and Union territory Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. Orders of Courts or Tribunal, etc.- The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or High Court or the National Green Tribunal.

[F. No. 25/30/2016-ESZ-RE]

Dr. SATISH C. GARKOTI, Scientist 'G'

ANNEXURE- I

BOUNDARY DESCRIPTION OF ECO-SENSITIVE ZONE OF SURINSAR-MANSAR WILDLIFE SANCTUARY

In the **Eastern side** the Eco-sensitive Zone passes through the villages Payem, Doon crosses the Dhar road and Kathel village villages and runs along the Gambhir Khad upto village Pardeh.

In the **South-Eastern side**, the Eco-sensitive Zone enters the Co 6 Mansar Block Jindrah transverse it on Southern side of village Undahal enters into 5 Mansar Block Jindrah of Forest Division Jammu and then enters in Co. 43/Mahoregarh Range of Forest Division Samba and then Co. 42/Mahoregarh Range and crosses the Mansar Samba Road.

In the **Southern side**, the Eco-sensitive Zone transverse through Co 39/Mahoregarh, Co 38/ Mahoregarh North of village Babnergarh, then 36/Mahoregarh South of Mansar Forest, 33/ Mahoregarh, 32/Mahoregarh, 30/Mahoregarh North of Village Kumn, 29/Mahoregarh, enters 23/Purmandal (Forest Division Samba) and 21/Purmandal and then along the boundary of 20/ Purmandal and 21/Purmandal and moves forward along the boundary of 20/Purmandal and 44/Bahu and 33/ Purmandal and 44/Bahu, boundary of 33/Purmandal and enters into 34/ Purmandal south of village Dager and joins with Samani Nallah north of village Panjowa.

In the **South-Western side**, the Eco-sensitive Zone move along boundary of 34/ Purmandal and 35/ Purmandal, move along the Samani Nallah and move along the boundary of Co 42/Bahu and 35/ Purmandal, Co 46/Bahu and 35/ Purmandal, Co 46/Bahu and 41/ Purmandal, Co 47/Bahu and 41/ Purmandal, Co 48/Bahu and 41/Purmandal, along the boundary of 48/Bahu, 49/Bahu and 50/Bahu.

In the **Western side**, the Eco-sensitive Zone moves along the boundary of the 51/Bahu, 52/Bahu North of village Athem, crosses the Surinsar-Sidhra road, enters into Co 53/Bahu, then 56/Bahu, moves along the boundary of between 58/Bahu and 59 Bahu, then touches the river Tawi. The Eco-sensitive Zone move along the Tawi along the boundary upto Co 15/Jindrah. The Eco-sensitive Zone has been kept zero along the boundary of Surinsar-Mansar Wildlife Sanctuary with the Nandani Wildlife Sanctuary. The Eco-sensitive Zone moves along the North of Village Doa, enters into Co 5 Tunnel Block Jindrah Range, then into 4 Tunnel Block Jindrah Range.

In the **North-Western side**, the Eco-sensitive Zone enters into Co 4/T, then South of village Tara, then along the South of village Kah.

In the **Northern side**, the Eco-sensitive Zone enters into the Rifle Range, upto North of Village Martin, then enters into the Nallah North of Village Nagola, move along the Nallah upto the North of village Upli Sari and Dhan. Then the Eco-sensitive Zone move forward North of the villages Pera, Buthana.

In the **North-Eastern side**, the Eco-sensitive Zone crosses the River Tawi and moves along the North of villages Jambal, Jandli.

Annexure-II A

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF SURINSAR-MANSAR WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS

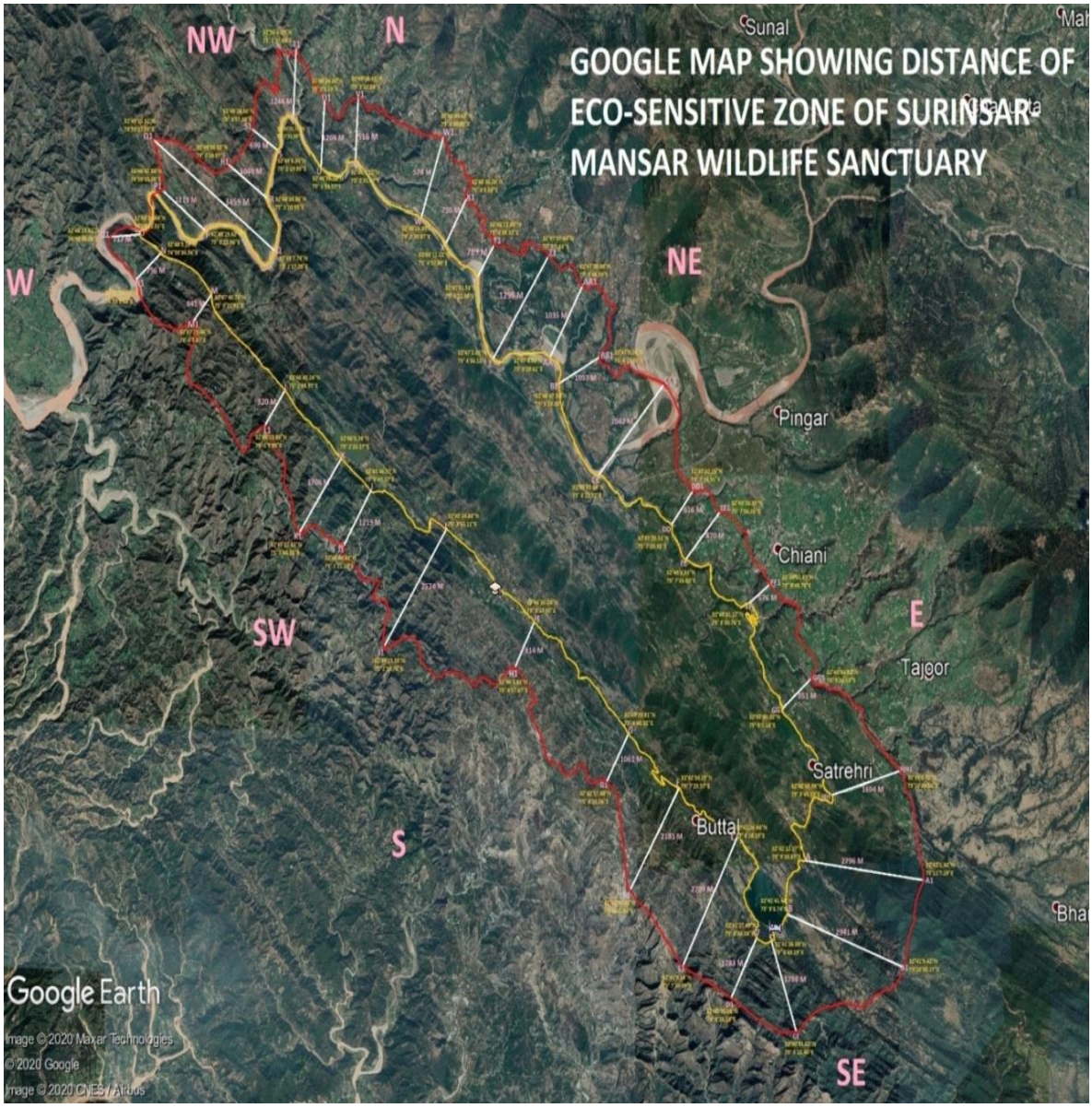

Annexure-II B

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF SURINSAR-MANSAR WILDLIFE SANCTUARY

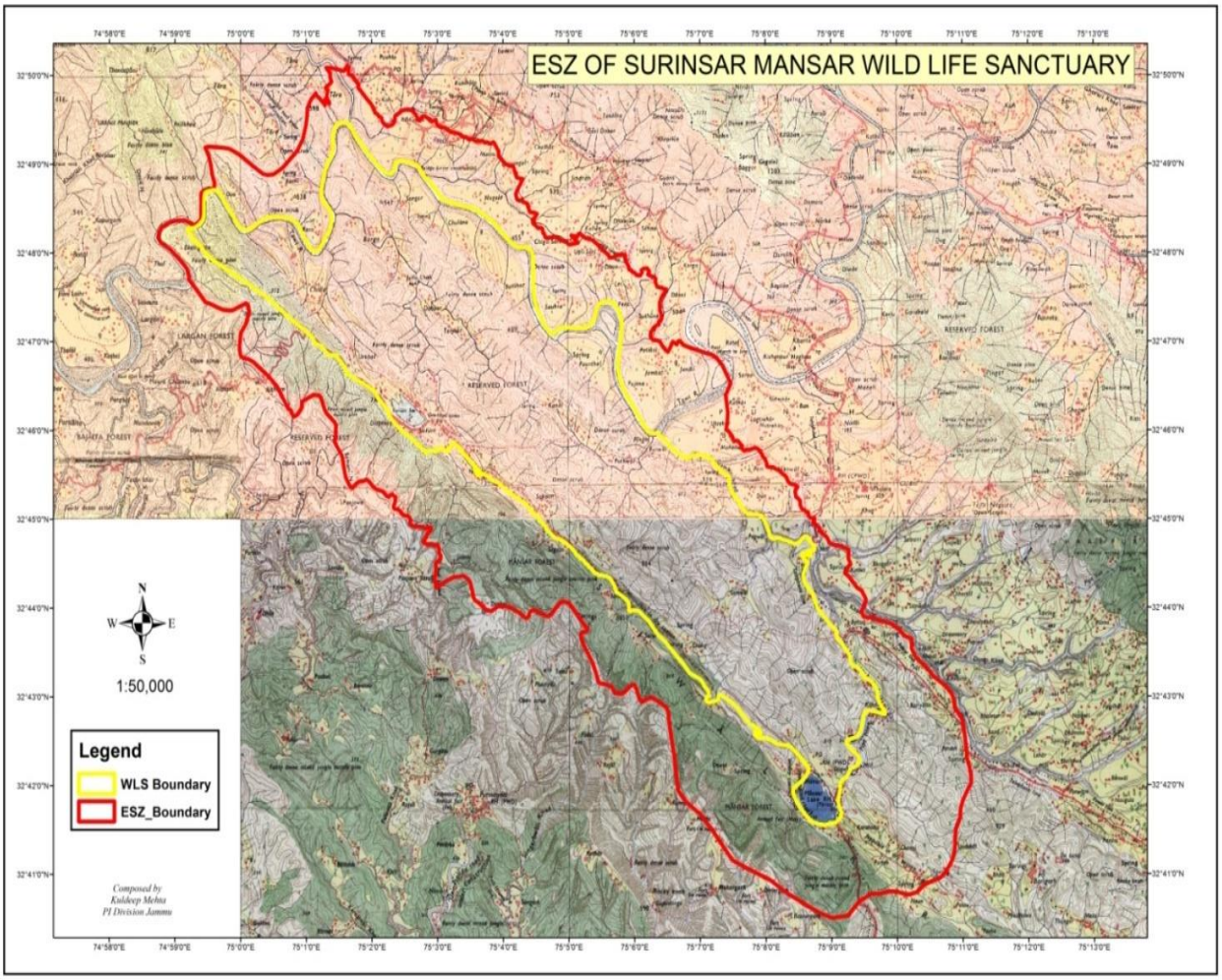

Annexure-II C

LAND-USE LAND-COVER MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF SURINSAR-MANSAR WILDLIFE SANCTUARY

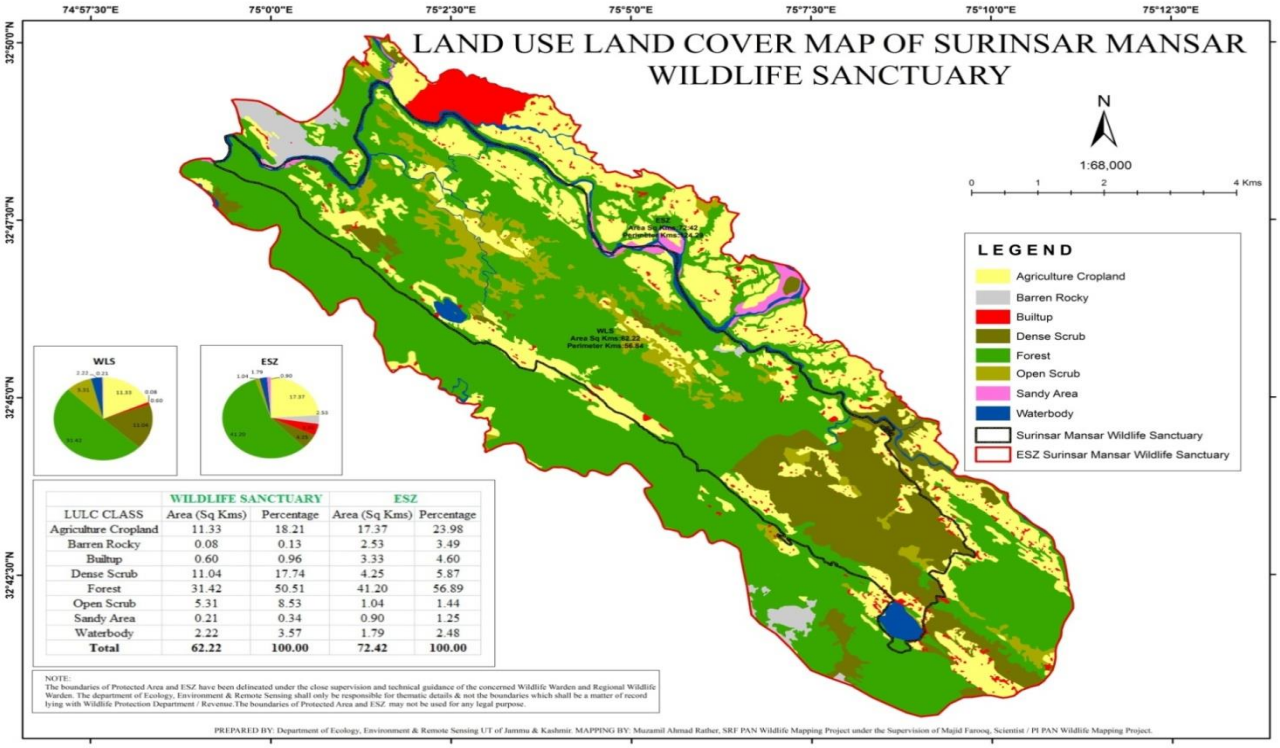

LULC CLASS	WILDLIFE SANCTUARY Area (Sq Kms)	Percentage	ESZ Area (Sq Kms)	Percentage
Agriculture Cropland	11.33	18.21	17.37	23.98
Barren Rocky	0.08	0.13	2.53	3.49
Builtup	0.60	0.96	3.33	4.60
Dense Scrub	11.04	17.74	4.25	5.87
Forest	31.42	50.51	41.20	56.89
Open Scrub	5.31	8.53	1.04	1.44
Sandy Area	0.21	0.34	0.90	1.25
Waterbody	2.22	3.57	1.79	2.48
Total	**62.22**	**100.00**	**72.42**	**100.00**

NOTE:
The boundaries of Protected Area and ESZ have been delineated under the close supervision and technical guidance of the concerned Wildlife Warden and Regional Wildlife Warden. The department of Ecology, Environment & Remote Sensing shall only be responsible for thematic details & not the boundaries which shall be a matter of record lying with Wildlife Protection Department / Revenue.The boundaries of Protected Area and ESZ may not be used for any legal purpose.

PREPARED BY: Department of Ecology, Environment & Remote Sensing UT of Jammu & Kashmir. MAPPING BY: Muzamil Ahmad Rather, SRF PAN Wildlife Mapping Project under the Supervision of Majid Farooq, Scientist / PI PAN Wildlife Mapping Project.

Annexure-III

TABLE A: LATITUDE-LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS ALONG THE BOUNDARY OF THE SURINSAR-MANSAR WILDLIFE SANCTUARY AS SHOWN ON MAP

S.No.	Point	Direction	Geo-Coordinates	
			Latitude	Longitude
1	A	South-East	32°42'12.07"N	75° 9'20.87"E
2	B	South-East	32°41'41.44"N	75° 9'3.74"E
3	C	South-East	32°41'26.09"N	75° 8'49.19"E
4	D	South-East	32°41'27.49"N	75° 8'36.04"E
5	E	South-East	32°42'26.64"N	75° 8'18.15"E
6	F	South	32°42'54.25"N	75° 7'25.57"E
7	G	South	32°43'25.81"N	75° 6'40.32"E
8	H	South	32°44'30.24"N	75° 5'15.07"E
9	I	South	32°45'24.88"N	75° 3'55.11"E
10	J	South-West	32°45'46.52"N	75° 2'47.37"E
11	K	South-West	32°46'5.74"N	75° 2'20.27"E
12	L	South-West	32°46'45.24"N	75° 1'28.97"E
13	M	South-West	32°47'40.76"N	75° 0'21.91"E
14	N	West	32°48'5.10"N	74°59'34.56"E
15	O	West	32°48'16.84"N	74°59'13.51"E

16	P	West	32°48'19.62"N	75° 0'12.96"E
17	Q	West	32°48'7.74"N	75° 1'17.28"E
18	R	North- West	32°48'38.86"N	75° 1'10.55"E
19	S	North- West	32°49'6.30"N	75° 1'19.95"E
20	T	North- West	32°49'26.16"N	75° 1'33.94"E
21	U	North	32°48'56.28"N	75° 1'59.57"E
22	V	North	32°49'0.12"N	75° 2'31.27"E
23	W	North	32°48'26.89"N	75° 3'30.97"E
24	X	North	32°48'11.22"N	75° 3'52.89"E
25	Y	North	32°47'51.53"N	75° 4'22.49"E
26	Z	North	32°47'3.83"N	75° 4'36.11"E
27	AA	North	32°47'4.56"N	75° 5'29.62"E
28	BB	North	32°46'47.53"N	75° 5'38.00"E
29	CC	North	32°45'55.63"N	75° 6'13.72"E
30	DD	East	32°45'26.51"N	75° 7'20.35"E
31	EE	East	32°45'6.53"N	75° 7'33.92"E
32	FF	East	32°44'41.17"N	75° 8'30.76"E
33	GG	East	32°43'40.30"N	75° 9'0.14"E
34	HH	East	32°42'48.98"N	75° 9'45.33"E

TABLE B: TABLE SHOWING GEO-COORDINATES OF ECO-SENSITIVE ZONE OF SURINSAR-MANSAR WILDLIFE SANCTUARY AS SHOWN ON MAP

Sl. No.	Point	Direction w.r.t boundaries of the sanctuary	Geo-Coordinates	
			Latitude	Longitude
1.	A1	South-East	32°42'1.30"N	75° 11'7.19"E
2.	B1		32°41'9.42"N	75° 10'50.17"E
3.	C1		32°40'31.62"N	75° 9'12.40"E
4.	D1		32°40'50.08"N	75° 8'14.18"E
5.	E1		32°41'9.14"N	75° 7'30.05"E
6.	F1	South	32°41'54.48"N	75° 6'41.84"E
7.	G1		32°42'57.48"N	75° 6'20.06"E
8.	H1		32°44'3.83"N	75° 4'57.87"E
9.	I1		32°44'15.95"N	75° 2'58.76"E
10.	J1	South-West	32°45'14.62"N	75° 2'21.12"E
11.	K1		32°45'22.33"N	75° 1'40.35"E
12.	L1		32°46'23.84"N	75° 1'9.80"E
13.	M1		32°47'25.46"N	75° 0'5.87"E
14.	N1	West	32°47'50.71"N	74° 59'9.68"E
15.	O1		32°48'15.41"N	74° 58'46.09"E

16.	P1		32°48'42.88"N	74° 59'13.51"E
17.	Q1		32°49'10.51"N	74° 59'27.88"E
18.	R1	**North-West**	32°48'56.83"N	75° 0'36.97"E
19.	S1		32°49'18.50"N	75° 0'57.38"E
20.	T1		32°50'6.29"N	75° 1'37.48"E
21.	U1	**North**	32°49'34.83"N	75° 2'3.15"E
22.	V1		32°49'16.95"N	75° 2'32.86"E
23.	W1		32°48'44.65"N	75° 3'38.98"E
24.	X1		32°48'30.06"N	75° 4'9.84"E
25.	Y1		32°48'12.80"N	75° 4'39.92"E
26.	Z1	**Northeast**	32°47'37.43"N	75° 5'5.63"E
27.	AA1		32°47'33.86"N	75° 5'48.39"E
28.	BB1		32°47'5.24"N	75° 6'15.00"E
29.	CC1		32°46'48.78"N	75° 7'13.36"E
30.	DD1	**East**	32°45'42.20"N	75° 7'34.91"E
31.	EE1		32°45'26.39"N	75° 7'56.26"E
32.	FF1		32°44'51.85"N	75° 8'48.73"E
33.	GG1		32°43'56.82"N	75° 9'26.18"E
34.	HH1		32°43'3.52"N	75° 10'48.01"E

Annexure-IV

LIST OF VILLAGES FALLING UNDER ECO-SENSITIVE ZONE OF SURINSAR-MANSAR WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH GEO-COORDINATES

S.No.	Name of Village/Hemlets	Geo coordinates	
		North	East
1.	Tarha (Partially)	32^0 50’ 01.6	074^0 59’ 43.1
2.	Doya	32^0 48’ 55.8	074^0 59’ 42.0
3.	Kerain Choa	32^0 48’ 10.8	075^0 01’ 10.9
4.	Barni	32^0 48’ 49.0	075^0 00’ 53.4
5.	Channi	32^0 41’ 19.62	075^0 09’ 30.64
6.	Paday	32^0 40’ 46.85	075^0 10’ 24.43
7.	Kakria	32^0 42’ 46.1	075^0 09’ 46.29
8.	Battal	32^0 43’ 43.10	075^0 09’ 23.52
9.	Baryalta	32^0 43’ 05.93	075^0 10’ 26.97
10.	Parday	32^0 42’ 26.54	075^0 10’ 58.95
11.	Kathel	32°44'18.05"	75° 8'56.60"
12.	Kaley	32^0 45’ 00.87	075^0 08’ 36.65

13.	Doon	32^0 45’ 18.54	075^0 08’ 11.86
14.	Payem	32^0 45’ .32.82	075^0 07’ 51.66
15.	Kathar	32^0 45’ 51.97	075^0 07’ 35.60
16.	Pataedi	32^0 46’ 53.03	075^0 06’ 31.04
17.	Sersikathar	32^0 45’ 37.44	075^0 07’ 34.15
18.	Sadi	32^0 48’ 10.75	075^0 04’ 16.77
19.	Soudla	32^0 47’ 48.81	075^0 04’ 35.94
20.	Jambal	32° 46' 40.35"	75° 6' 19.41"
21.	Pajana	32^0 46’ 27.57	075^0 06’ 10.89
22.	Bathuna	32°47' 9.83"	75° 6'5.14"
23.	Nagola	32^0 48’ 21.33	075^0 04’ 00.81
24.	Tann	32^0 47’ 28.18	075^0 05’ 00.19
25.	Sarail	32^0 43’ 21.78	075^0 06’ 16.32
26.	Baral	32^0 43’ 58.93	075^0 05’ 31.47
27.	Deol	32^0 42’ 05.34	075^0 07’ 31.36
28.	Paloni	32^0 41’ 57.58	075^0 07’ 44.18
29.	Jandli	32°46'30.76"	75° 6'26.84"
30.	Panjoa (Partially)	32°45'26.04"	75° 1'41.60"

Annexure-V

Performa of Action Taken Report:

1. Number and date of meetings.
2. Minutes of the meetings: (mention noteworthy points. Attach minutes of the meeting as separate Annexure).
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt with rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise). Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2022.01.19 20:45:55 +05'30'